बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के विविध रुप

डॉ० पवन कुमार*

असहयोग आंदोलन के पश्चात् महात्मा गाँधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसका प्रारंभ नमक सत्याग्रह से हुआ। सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रस्ताव दिसम्बर, 1929 ई. के लाहौर कांग्रेस में पारित हुआ, जिसके सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर अधिवेशन में 'पूर्ण स्वतंत्रता' का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस सदस्य भावी चुनावों में भाग न लें तथा केन्द्रीय और प्रांतीय विधान मण्डलों से त्याग–पत्र दे दें। अधिवेशन ने भारतीय कांग्रेस कमिटी को समयानुकूल सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया तथा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय किया गया।

लाहौर कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार सम्पूर्ण भारत में 26 जनवरी, 1930 ई. को स्वाधीनता–दिवस मनाया गया। बिहार में भी बहुत शानदार तरीके से स्वाधीनता दिवस मनाया गया। जगह–जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए तथा विद्यार्थियों ने भी काफी उत्साह के साथ इसमें भाग लिया।

15 फरवरी, 1930 ई. को अहमदाबाद की एक सभा में कांग्रेस कार्यसमिति ने महात्मा गाँधी को यह अधिकार दिया कि वे जब उचित समझें, सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारंभ करें। गाँधीजी ने नमक–कानून तोड़कर ही सत्याग्रह प्रारंभ करने पर विचार–विमर्श किया, क्योंकि 1923 ई. में नमक–कर दूना कर दिया गया था और समुद्र के जल से भी नमक तैयार करना गैर–कानूनी घोषित कर दिया गया था। गाँधीजी का कहना था कि हवा और पानी की तरह ही नमक प्रकृति–प्रदत्त है, परन्तु इस पर दोगुना कर लग जाने से गरीब लोग उतना नमक नहीं खा पाते, जितना उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।

राजेन्द्र प्रसाद को नमक कानून भंग करने के कार्यक्रम में विश्वास नहीं था। उनका विचार था कि बि.प्रां.कां.स. चौकीदार कर भुगतान न के लिए आंदोलन चलाए। क्योंकि उस आंदोलन के लिए जनता का स्वाभाविक समर्थन हासिल होगा। लेकिन नमक सत्याग्रह के लिए वैसा समर्थन नहीं मिलेगा। नमक उत्पादन के लिए जमीन भी केवल कुछ ही जगहों पर उपलब्ध थी। उन्हें यह भी संदेह था कि क्या शिक्षित तबका नमक बनाने में कोई दिलचस्पी लेगा। नोनिया (नमक बनाने वाली जाति) लोगों के बारे में उनका भय उस आंदोलन के प्रति कांग्रेस के रवैए का सूचक था: ''हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि इन गरीब और पिछड़े लोगों को उकसाना और उन्हें सत्याग्रह में शामिल करना उचित नहीं है।''[1]

परन्तु गाँधी का मानना था कि चौकीदारी कर का भुगतान न करने का आंदोलन असफल हो जाएगा। इसको तभी शुरू किया जा सकता है जब लोगों में इसके लिए 'जोश भर दिया जाए।' चूंकि राजेन्द्र प्रसाद भी पूरी तरह इस निर्णय से आश्वस्त नहीं थे, सो वे 'चुप रह गए।[2]

जब नमक सत्याग्रह शुरू हो गया तो कांग्रेस नेताओं को एक–एक करे जल्द ही गिरतार कर लिया गया। और उन्हें छह मास से 18 माह तक की साधारण और सश्रम कारावास की सजाएं दी गईं। कुल 16 जिला कांग्रेस समितियों में से 12 समितियों के अध्यक्ष या सचिव या फिर दोनों किसी न किसी मामले में जेल जा चुके थे। इन गिरतारियों के चलते प्रांतीय कार्यकारी समितियाँ बिना सचिवों के हो गई। और छह सदस्यों को भी गिरतार कर लिया। सरकार के कथनानुसार नमक सत्याग्रह के दौरान सारण, चम्पारण और मुजफरपुर में 'तीव्रतम काम' हुआ। पटना में शुरूआत देर से हुई और छोटा नागपुर 'लगभग शांत' रहा।[3] अप्रैल समाप्त होते–होते सदर में 35 और चम्पारण के बेतिया उपमंडल में 75 स्थानों पर नमक बनाया जा रहा था। बि.प्रा.कां.सं. के अनुसार मई के पहले हते में नमक बनाने के कुल 550 केन्द्र थे। सारण, गोरीकोठी, हाजीपुर और बरेजा सत्याग्रह के 12 सबसे बड़े केन्द्रों में शुमार थे। इसके अलावा इन केन्द्रों के आस–पास के अनेकों गाँवों में भी नमक बनाया जाता था, उदाहरण के लिए गोरीकोठी के आस–पास लगभग 30 गांवों में नमक बनाया जा रहा था।[4]

दूसरी पंक्ति के नेतृत्व की कमी की वजह से (गोरी कोठी, बरेजा और हाजीपुर) जिन जगहों पर बड़े पैमाने पर नमक उत्पादन होता था, वह वहां से हटकर अनेकों गांवों में छोटे पैमाने के उत्पादन में तब्दील हो गया। मुजफरपुर में सत्याग्रह के 30 केन्द्र हाजीपुर, सीतामढ़ी और सदर उप–मंडलों में फैले हुए थे, लेकिन इनमें से अधिकांश मई माह के शुरू होते–होते बंद हो गए। दरभंगा जिले में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को इस मामले में धीरे चलने के लिए कहा गया था। क्योंकि मोती लाल नेहरू से दरभंगा के महाराजा ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी। पूर्णिया में टीकापट्टी कांग्रेस आश्रम ने कोढ़ा, बरारी, और रूपौजी थानों पर सत्याग्रह का आयोजन किया। मुंगेर में नमक बनाने का काम बेगूसराय और सदर उप–मंडलों में किया जाता था। राजेन्द्र प्रसाद के कथनानुसार मई समाप्त होते–होते कुल 1,500 गांवों में नमक बनाया जाने लगा था। खासकर तब जब 450

***एम.ए, पी.एच.डी (इतिहास) बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफरपुर**

'मुख्य नेताओं' को गिरतार किया जा चुका पर। फिर भी आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ा था।[5]

नमक का कानून तोड़ने की क्रिया ने जनता की बहुत तादाद को अपनी तरफ खींचा, चाहे वे दर्शक के रूप में क्यों न हों। जब विपिन बिहारी वर्मा (चंपारण जिला बोर्ड के अध्यक्ष) और गणेश प्रसाद साह (मोतिहारी म्युनिसपलिटी के उपाध्यक्ष) जोगा पट्टी के पिपहिया में नमक बना रहे थे, उस समय 10,000 दर्शक वहां मौजूद थे। दरभंगा के पिपरा में नमक बनाने के समय 4,000 से 10,000 लोग मौजूद थे। बरेजा और गौरीकोठी में नमक बनाने के वक्त दर्शकों में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी।[6]

तिरहुत के दो 'महत्वपूर्ण' क्रांतिकारी के रानेन राय चौधरी (मुजफरपुर) और लालगंज (हाजीपुर) के बैकुंठ शुकुल को नमक कानून के तहत दंडित किया गया। कई जगहों पर महिलाओं ने भी आंदोलन में भाग लिया। उदाहरण के लिए श्रीमती राम बहादुर (एक वकील की पत्नी) की अगुआई में महिलाओं के एक दल ने सासाराम थाने के सामने नमक बनाया। चम्पारण जिले में सजायाता 24 सत्याग्रहियों की सूची की अगर जाति के आधार पर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। इस सूची में ब्राह्मणों और कायस्थों के अलावा, दो अहीर, दो कोइरी और दो हरिजनों तथा एक चमार का भी नाम है। सारण में नोनियों (नमक बनाने वाली जाति) के बारे में तीन बातें सामने आती हैं। रामपुर में नोनिया और नीची जाति के लोगों से नमक बनवाया गया। उन्हें यह धमकी दी गई कि यदि वे नमक नहीं बनायेंगे तो उन्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। दूसरी जगहों पर कांग्रेस स्वयंसेवकों ने पैसे देकर नोनियों से नमक बनवाया।[7]

सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जमींदार लोग जो रवैया अख्तियार किए हुए थे वह नमक सत्याग्रह के समय में सब की नजर में आ गया। बरेजा (सारण) के स्थानीय जमींदार गिरीश तिवारी की गिरतारी के बाद, सांवलिया बाबू ने दूसरे 12 गांवों में नमक बनवाने का काम शुरू कर दिया। गया में करम भगवान गांव के बद्री नारायण सिंह ने कांग्रेस को आमंत्रित किया कि उनके गांव में आकर नमक सात्याग्रह की शुरूआत करें। इस अभियान में गया के 'सम्मानित' जमींदार परिवारों ने हिस्सा लिया। इसके विपरीत शाहाबाद के जमींदारों ने इस अभियान का विरोध किया।

सरकार ने अप्रैल में अनुमान लगाया कि ''यह उत्साह केवल कस्बों तक सीमित है और स्कूली लड़कों में ही दिखाई पड़ रहा है।'' लेकिन नमक सत्याग्रह ने जो शक्ल अख्तियार की उससे यह बात गलत साबित हो गई है। सच्चाई कुछ और ही थी। बाद में चलकर दीप नारायण सिंह ने यह कहा कि नमक आंदोलन

में किसानों का योगदान छात्रों से भी ज्यादा रहा। इतना कि जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। दीप नारायण सिंह इस बात के कायल थे कि नमक आंदोलन में लोग स्वेच्छा से भाग लें। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाए। वे स्कूलों पर पिकेट लगाने के भी खिलाफ थे। कहा जाता है कि भागलपुर के टी. एन.जे.कॉलेज पर पिकेट लगाने को असफल करने में भी उनका हाथ था।[8]

आंदोलन के अनेक रूप—4 मई 1930 ई. को जब महात्मा गाँधी गिरतार कर लिए गए, तब उसके विरोध में जगह—जगह हड़ताल तथा प्रदर्शन हुए और सभाओं में विदेशी वस्त्रों, विशेषकर ब्रिटिश वस्त्रों के बहिष्कार, अदालतों के बहिष्कार तथा शराब की दुकानों पर धरना देने के प्रस्तावित पारित किए गए। 9 मई, 1930 ई. को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटि ने सभी सहायक समितियों को यह आदेश दिया कि 16 मई से विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दूकानों पर धरना दिया जाय। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के अतिक्ति स्कूली छात्र शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेट लगाने में बढ़—चढ़कर हिस्सा लिया।[9]

जब कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरतार कर लिया गया तो बिहार के स्कूली लड़कों ने अनेकों स्कूलों में हड़ताल की घोषणा कर दी। इसके लिए मनभूम कांग्रेस ने छात्रों से विशेष अपील की थी। धनबाद के झरिया राज स्कूल में छात्रों की उपस्थिति 420 से घटकर 89 हो गई थी। इस उपमंडल के कटरस में एक राष्ट्रीय स्कूल खोला गया ताकि कटरस हाई इंगलिश स्कूल द्वारा निष्कासित किए गए 25 छात्रों को दाखिला दिया जा सके। पलामू में गढ़वा हाई इंगलिश स्कूल से 84 छात्रों का नाम काट कर उन्हें निष्कासित कर दिया गया। क्योंकि उन्होंने राजेन्द्र प्रसाद की गिरतारी के विरोध में हड़ताल की थी। गाँधी और दूसरे नेताओं के गिरतार हो जाने के बाद मई—अप्रैल में छात्रों ने जमशेदपुर के स्कूलों में हड़ताल कर दी थी।[10]

राजेन्द्र प्रसाद ने यह दावा किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ा व्यापारियों ने अपने गोदामों पर स्वेच्छा से ताले लगाए थे। और बहुत ही कम मामलों में पिकेट लगाये गए। लेकिन उनका यह दावा काफी गुमराह करने वाला लगता है। यह कहना कि कांग्रेस के अभियानों को व्यापक जन समर्थन हासिल था, कांग्रेस द्वारा किए गए सांगठनिक प्रयासों की अनदेखी करना होगा जब कि इन्हीं प्रयासों की वजह से विदेशी कपड़ों की बिक्री कम हुई और खादी का प्रचार—प्रसार हुआ। ऐसा लगता है कि कपड़ा व्यापारियों और विभिन्न जिला कांग्रेस समितियों के बीच में जो तरह—तरह के कार्यकलाप हुए, उन पर पर्दा डाल दिया गया है। दुकानदारों ने विदेशी कपड़े न मांगने की शपथ जिस अवधि के लिए ली थी वह अवधि अलग—अलग जगहों पर अलग—अलग थी। यह सारण में एक

साल थी, मनभूम में छह महीने और दूसरी कई जगहों पर तीन महीने थी। फिर व्यापारियों ने गोदामों पर लगी कांग्रेस की सील को तोड़ दिया था। उसके बाद भी बिक्री बहुत कम रही।[11]

मुस्लिम दुकानदार विदेशी कपड़े खरीदने से संबंधित कांग्रेस के शपथ पत्र पर सामान्यतः हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके कुछ अपवाद भी थे, जैसे कि धनबाद में। भागलपुर में भी मुसलमान दुकानदारों ने शपथ पत्र पर दस्तखत किए और पिकेट लगाए। खास इसी काम के लिए पटना से कुछ मुसलमान बुलाए गए थे। लेकिन पटना में बांकीपुर के मुसलमानों ने कोई भी बात मानने से इंकार कर दिया। बावजूद इसके कि श्रीमती हसन इमाम, एस.ए. सामी, श्रीमती सामी और अब्दुल बारी आदि ने लोगों से अपील भी की थी। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता मुसलमानों की दुकानों पर पिकेट लगाने के मामले में बहुत सावधानी बरतते थे।

बि.प्रां.कां.स. ने यह स्पष्ट किया कि देहाती इलाकों में लोग शराब और गांजा की दुकानों पर पिकेट लगाने के मामले में जज्बाती हो जाते थे। उनके इस जज्बात पर कारगर विराम लगाना था और जिला कांग्रेस समितियों और स्थानीय समितियों को यह निर्देश दिया जा चुका था कि वे विदेशी कपड़ों के बहिष्कार में पूरी ताकत लगाएं। पापिया घोष का तर्क है कि शायद कांग्रेस छोटे जमींदारों को अलग–थलग नहीं करना चाहती थी (क्योंकि ताड़ के पेड़ों के नष्ट कर दिए जाने से वे पहले ही बुरी तरह प्रभावित थे) और आबकारी विरोधी आंदोलन के चलते हो रही हिंसा पर नियंत्रण पाना चाहती थी।[12]

कुल मिलाकर विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए चलाया गया अभियान सफल रहा। उससे कपड़ों की बिक्री बहुत कम हो गई। कलकत्ता और कानपुर के बीच में कपड़े का सबसे बड़ा केन्द्र भागलपुर था। वहां पर बि.प्रां. कां. स. को सबसे कड़ा संघर्ष करना पड़ा। बि.प्रां.कां.स. और राजेन्द्र प्रसाद दोनों ने ही व्यापारियों के इस हृदय परिवर्तन का श्रेय बिहपुर में कांग्रेस आश्रम पर जिला प्रशासन के कब्जे और सत्याग्रहियों पर किए गए दमन को दिया जिसमें बाद में ढील दे दी गई। सरकार के अनुसार बिक्री में आई इस कमी की वजह थी सुव्यवस्थित तरीके से पिकेट लगाना, चरखे में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी और मंदी के चलते लोगों की क्रय शक्ति में आई कमी।

विदेशी कपड़ों की बिक्री का दूसरा सबसे बड़ा केन्द्र मुजफरपुर था। यहां पर रेलवे स्टेशन से अपना भंडार उठाना व्यापारियों के लिए दूभर हो गया। उदाहरण के लिए सीतामढ़ी के व्यापारी एक साथ मिलकर अपना भंडार लेने के लिए रेलवे स्टेशन गए। लेकिन वे 250 बंडलों में से केवल 9 बंडल (गांठ) ही ले

जा पाए। मुजफरपुर रेलवे स्टेशन के गोदाम में पड़े अनेकों गांठ कपड़े नहीं उठाए जा सके क्योंकि स्वयंसेवकों ने रास्ते में व्यवधान लगा दिए थे और कपड़ा मालिकों को इन कपड़ों को ढ़ो कर ले जाने के खिलाफ चेतावनी दे रखी थी। मई में मुजफरपुर के मारवाड़ियों ने अगले तीन माह तक नया भंडार न मांगने का निर्णय लिया।[13]

कांग्रेस के गढ़ चम्पारण में पिकेट का आयोजन मुख्यतः बेतिया, ढाका, गोबिंदगंज गोरसहा और कसरिया में किया जाता था। बेतिया के मीना बाजार में चलाई गई मुहिम से प्रशासन भी चिंतित हो उठा। यह बाजार बेतियाराज की जमीन पर बनाया गया था। दरभंगा में विदेशी कपड़ा बहिष्कार आंदोलन ऊर्जा से ओत–प्रोत था और सुदूर गांवों तक फैल गया था । जून में रेलवे स्टेशन पर कपड़े की गांठों का ढेर लगने लगा क्योंकि उन्हें ढो कर ले जाने के लिए गाड़ियां नहीं मिल रही थीं। व्यापारियों को सितंबर तक अपना स्टाक खाली करने की इजाजत नहीं थी। और कांग्रेस का जोर इस बात पर था कि नया स्टाक न मंगाया जाए। विदेशी कपड़ों के इस्तेमाल के खिलाफ अक्तूबर में जहां अभियान चलाया गया वे जगहें थीं–लहेरिया सराय, ताजपुर, वारिसनगर, रोसेड़ा, दलसिंहसराय, समस्तीपुर, चइतापतही पिपरा और जोगिमारा। नवम्बर में भी रेलवे स्टेशन से अपना माल उठाने के लिए दुकानदारों को हथियारबंद लोगों की मदद लेनी पड़ती थी।[14]

पिकेट लगाने की कांग्रेस की रणनीति का छपरा के व्यापारियों पर बहुत बुरा असर पड़ा, खासकर शादियों के मौसम में अपनी दुकानों पर पिकेट लगाए जाने से बचने के लिए उन्होंने कांग्रेस को 20 से 51 रु. तक प्रति दुकाने देने की हामी भर ली। और यह समझौता 25 मई से लागू हुआ। यह पूरी तरह से स्थानीय प्रबंध था। हालांकि धरोहर राशि का भुगतान आदि करना मारवाड़ियों ने अपने ही हाथ में रखा। सारण जिला कांग्रेस समिति के 'गरम मिजाज' लोगों ने उस समझौते की मुखालफत भी की जिससे एक विवाद पैदा हो गया। फिर राजेन्द्र प्रसाद को ही आकर इसको सुलझाना पड़ा। अंततः धरोहर राशि को वापस कर दिया गया और व्यापारियों को नया स्टाक मंगाने के खिलाफ आगाह किया गया। लेकिन पिकेट लगाने का सिलसिला चलता रहा। दिसम्बर में मीरगंज की दुकानों पर हाजीपुर के स्वयंसेवकों ने पिकेट लगा रखा था जिससे निजात पाने के लिए भारी मात्रा में पुलिसबल को लगाना पड़ा।

नवम्बर 1930 में बि.प्रां.कां.स. ने यह सूचना दी कि बिहार में हाथ द्वारा काते गए सूत का उत्पादन काफी बढ़ गया है। संथाल परगना में उसका उत्पादन बढ़कर 100 मन प्रतिमाह हो गया था। सारण के एकमा थाना में चरखों की संख्या 237 थी। और इसी जिले के गुठनी थाना में 2,997 चरखे और 50 लूम चल रहे

थे। और मुंगेर जिले के बढ़इया थाना में 300 चरखे चल रहे थे। दो महीने पहले अगस्त में सारण जिले के भैरवां थाना में 6,000 चरखे और 163 लूम चल रहे थे।[15]

1931 के मई महीने में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के साथ–साथ ही मदिरा के बहिष्कार का आंदोलन भी छेड़ा गया था जिससे राज्य की आबकारी आय में 48 लाख रुपए की कमी आई। मई में बि.प्रां.कां.स. ने यह दावा किया कि भागलपुर, सबौर, हाजीपुर, मुजफरपुर, नवादा, देवधर, रांची, पुरुलिया, हजारीबाग, पटोरी, मोहिउद्दीन नगर और मधुबनी में शराब की बिक्री ठहर–सी गई थी दूसरी कई जगहों पर बिक्री ही बंद हो गई थी। आंदोलन की शक्ल पूरे प्रांत में अलग–अलग थी। बि.प्रां.कां.स ने इस तथ्य को खुद स्वीकार किया है कि मदिरा बहिष्कार का आंदोलन देहाती इलाकों में लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। विदेशी कपड़ा बहिष्कार आंदोलन से भी ज्यादा, उन क्षेत्रों में जो कांग्रेस के गढ़ थे वहां दुकानों पर पिकेट लगाना कांग्रेस का सबसे मजबूत हथियार था। कहीं–कहीं पर तो पुलिस को भी लगाना पड़ता था ताकि बिक्री होती रहे। उसके अतिरिक्त ताड़ी के वृक्षों (ताड़ या खजूर) के स्पेथ नष्ट कर दिए जाते थे। एक जगह से दूसरी जगह तक मदिरा ढोकर ले जाने के काम में बाधाएं डाल दी जाती थीं। गिरतार किए गए नेताओं और स्वयंसेवकों को पुलिस हिरासत में छुड़ा लिया जाता था। मदिरा सेवन करने वालों के सामाजिक बहिष्कार को समाज के निचले तबके के लोगों का महत्वपूर्ण समर्थन मिला। हाँ, आदिवासी इलाकों में खुले रूप से मदिरा का बहिष्कार किया जाता था लेकिन छुप कर शराब निकली जाती थी।

भागलपुर और चक्रधरपुर में पिकेट लगाने वाले लोगों में ज्यादातर लोग अध्यापक और छात्र होते थे। चम्पारण में स्वयंसेवकों में अहीर एवं ततवा लोगों के होने के प्रमाण मिले हैं जिनमें से कुछ लोग मुजफरपुर के भी थे। चम्पारण में पिकेट लगाने की रणनीति खासतौर पर सफल रही। मोतीहारी में शराब की बिक्री रातोंरात 19 गैलन से घटकर 8 गैलन हो गई।[16]

चम्पारण के सदर उपमंडल में ढाका, मोतिहारी, केसरिया, गोविन्दगंज और सुगौली में बहुत बड़े पैमाने पर ताड़ी के वृक्षों को नष्ट कर दिया गया। आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने यह स्वीकार भी किया कि इस तरह के आंदोलन को रोक पाना मुमकिन नहीं है। लिहाजा सरकार ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि कांग्रेस का सबसे ज्यादा ध्यान अफीम पर नहीं बल्कि ताड़ी पर है क्योंकि अफीम धनी लोगों के नशे के वस्तु है और ताड़ी गरीबों की, और पासी लोग कमजोर भी है। सारण में पासियों ने ताड़ी के पेड़ों के काटे जाने का विरोध भी किया। यहाँ तक कि एक स्वयंसेवक की मृत्यु भी हो गई। पटना के दानापुर उपमंडल में इस आंदोलन के शुरू होते ही पासियों ने ताड़ी के पेड़ों के नष्ट किए

जाने के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा दीं। पटना में 50 पासियों की अर्जी पर प्रशासन ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया। फिर पासियों ने अपनी समस्या को स्थानीय कांग्रेसियों के सामने रखा। इस आंदोलन के चलते अहीरों, कोइरियों और कहारों के बीच हो रही सामाजिक हलचल को काफी बल मिला, और कांग्रेस ने इस सबका खूब फायदा उठाया।

संदर्भ सूचीः–

1. प्रसाद, राजेन्द्र, ऑटोबायोग्राफी, बम्बई, 1957, पृ. 304
2. पॉलिटिकल डिपार्टमेंट (पीएस), स्पेशल सेक्सन, 87/1930 गोपनीय, 17 अप्रैल 1930
3. घोष, पापिया, द सिविल डिसओविडियेन्स मूवमेंट इन बिहार, मानक पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 2008, पृ. 59–60
4. पॉलिटिकल डिपार्टमेंट 138(ए)/1930
5. दत्ता, के.के. फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, वॉल्यूम II, पटना, 1957, पृ. 97
6. सिन्हा, ए.एन. मेरे संस्मरण, पटना, 1961, पृ. 152–153
7. पॉलिटिकल डिपार्टमेंट (डीआई जी सी आई डी)/1930, बीकएंडिंग, 21 और 28 अप्रैल 1930
8. डीआईजी सीआई डी के 26 जुलाई 1930 के मेमो नं. 944–45/आर पर पी एस 150/1930
9. उपरोक्त
10. राजेन्द्र प्रसाद, पूर्वोक्त किताब, पृ. 312
11. घोष, पापिया (2008), पूर्वोक्त, पृ.60
12. पीएस 157 (बी)/1930, गोपनीय, मुजफरपुर के एसपी के 29 मई 1930 के मेमो नं 220 के अंश; डब्लूई, 7 जून 1930
13. अमृत बजार पत्रिका, 27 मई 1930; पीएस 138 (ए)/1930, गोपनीय, नं. 425–सी, तारीख नहीं, ''सत्याग्रह आंदोलन के प्रभाव पर रिपोर्ट''
14. घोष, पापिया (2008), पूर्वोक्त, पृ.63–64
15. देखें दत्ता, के.के. (1957) खण्ड II, पृ. 97–116
16. उपरोक्त

*****